निर्णय बइजलास श्री अभिषेक चारण आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड राजस्थान

प्रकरण संख्या: 15/दावा/2021 तारीख दायरा 05.03.2021

ऑन लाइन प्रकरण संख्या 2021/22

उनवान

भूरीबाई पत्नी स्व0 मूलचन्द जाति कहार निवासी चाचोरनी तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड

---वादनी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड राज0

--- प्रतिवादी

वाद/प्रार्थना पत्र धारा 136 राज0ले0रे0एक्ट

निर्णय

उपस्थिति:- वकील वादनी श्री गजेन्द्र नामा

दिनांक 24.06.2022

पत्रावली पेश हुई संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि वादीनी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 ले0रे0ए0 के तहत इस आशय का पेश किया कि ग्राम चाचोरनी पटवार हल्का बडबद तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड राजस्थान के माल की खाता संख्या नया 219 पुरानी 211 की खसरा नम्बर 590/196 की 0.0809 हैक्टेयर आराजी वादनी के शामिल खातेदारी में दर्ज है। वर्णित आराजी में वादनी का नाम भुलीबाई पत्नी स्व0 मूलचन्द दर्ज हो रहा है जो गलत है। वादनी का सही नाम भूरीबाई पत्नी स्व0 मूलचन्द है। वादनी का नाम अन्य दस्तावेजो जैसे आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, में भूरीबाई पत्नी स्व0 मूलचन्द दर्ज हो रहा है। उक्त आराजी में वादनी ने भूरीबाई पत्नी स्व0 मूलचन्द हेतु प्रतिवादी तहसीलदार मनोहरथाना से कई बार निवेदन किया तथा आवेदन किया परन्तु उनके द्वारा कोई संतोशप्रद जवाब नही देने पर पुनः अंतिम बार दिनांक 29.01.2021 को आवेदन करने पर कोई सुनवाई नही करने से वाद कारण उत्पन्न हुआ। अतः वर्णित आराजी ग्राम चाचोरनी पटवार हल्का बडबद तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड राजस्थान के माल की खाता संख्या नया 219 पुरानी 211 की खसरा नम्बर 590/196 की 0.0809हैक्टेयर आराजी में से वादनी का नाम भुलीबाई पत्नी स्व0 मूलचन्द का नाम दुरस्त कर भूरीबाई पत्नी स्व0 मूलचन्द दर्ज कर राजस्व रिकार्ड अमल दरामद की जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी से जवाब तलब किया गया प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब संलग्न पत्रावली किया गया मुताबिक जवाब प्रतिवादी तहसीलदार, वादनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से सहमत है तथा उक्त राजस्व रिकार्ड मे वादनी का नाम भुलीबाई पत्नी स्व0 मूलचन्द दुरूस्त कर भूरीबाई पत्नी स्व0 मूलचन्द से सहमत है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादनी द्वारा प्रस्तुत तर्क एंव दस्तावेज पर गौर किया गया। प्रतिवादी प्रार्थना पत्र के तथ्यो से सहमत है। अतः वादनी का प्रांर्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार को आदेश दिया जाता है कि वर्णित आराजी ग्राम चाचोरनी पटवार हल्का बडबद तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड राजस्थान के माल की खाता संख्या नया 219 पुरानी 211 की खसरा नम्बर 590/196 की 0.0809 हैक्टेयर आराजी में वादनी का नाम भुलीबाई पत्नी स्व0 मूलचन्द दुरुस्त कर भूरीबाई पत्नी स्व0 मूलचन्द दर्ज कर राजस्व रिकार्ड अमल दरामद की जावें। डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.06.2022 को खुले इजलास सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
(श्री अभिषेक चारण आर.ए.एस.)
मनोहरथाना, जिला झालावाड
उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना

फाईनल डिक्री गुकदगात इब्तदाई

(ओ020 रूल0 6–7 जाप्ता दीवानी)

बइजलास श्री अभिषेक चारण आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड

तारीख दायरा 05.03.2021

प्रकरण संख्या: 15 / दावा / 2021

ऑन लाइन प्रकरण संख्या 2021 / 22

उनवान

भूरीबाई पत्नी स्व0 मूलचन्द जाति कहार निवासी चाचोरनी तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड राज0

--- प्रतिवादी

धारा 136 एल0आर0एक्ट

आज यह मुकद्मा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ अभिषेक चारण (आर0ए0एस0) बहाजरी वकील वादनी श्री गजेन्द्र नामा मिन जानिब मुद्दालय -------------ने पेश होकर वाद डिकी कियां जाकर आदेश दिया जाता है किं :-

ग्राम चाचोरनी पटवार हल्का बडबद तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड राजस्थान के माल की खाता संख्या नया 219 पुरानी 211 की खसरा नम्बर 590 / 196 की 0.0809 हैक्टेयर आराजी में वादनी का नाम भुलीबाई पत्नी स्व0 मूलचन्द दुरूस्त कर भूरीबाई पत्नी स्व0 मूलचन्द दर्ज कर राजस्व रिकार्ड अमल दरामद की जावें।

आज दिनांक 24.06.2022 को हमारे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से मजमे आम मे जारी कीगई।

(श्री अभिषेक चारण आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड़